



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

V-230
17/11/2024
आ.प्र.स. 17/11/2024
अमृत महोत्सव

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./जोन-13/2023/डी- 3175

दिनांक:- 27/11/23

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर भूखण्ड का पट्टा/नामहस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है :-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.) में	नाम/पता	समिति का नाम	योजना का नाम	नामहस्तांतरण/लीजडीड / फ्री होल्ड लीजडीड/अन्य
1	ए-3/354	80.00 वर्गमीटर	मैसर्स यूनाईटेड लिलैण्ड पार्ट्स जरिये हस्ताक्षरकर्ता श्री राजेश धवन, रीमा मेहता	जविप्रा	ट्रांसपोर्ट नगर योजना	मृत्यु प्रमाण पत्र, पंजीकृत उपहार पत्र, शपथ पत्र के आधार पर नामहस्तांतरण/लीजडीड जारी करने बाबत।
2.	ई-47बी	200.00 वर्गमीटर	श्रीमती उमा शर्मा पत्नी श्री दिनेश चन्द शर्मा	जविप्रा	पीताम्बरा आवासीय योजना	पंजीकृत उपहार पत्र के आधार पर नामहस्तांतरण पत्र जारी करने बाबत।
3.	ए-3/49	40.00 वर्गमीटर	न्यू शेखावत फंट केरीयर प्रो. श्रीमती सूरज कंवर पत्नी श्री सूरज कंवर	जविप्रा	ट्रांसपोर्ट नगर योजना	डुप्लीकेट पत्रावली के आधार पर नामहस्तांतरण/लीजडीड जारी करने बाबत।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना का प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त, जोन-13
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञापित का प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त, जोन-13
जविप्रा, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2024/डी- 52

दिनांक 12/1/2024

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/ अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री कुमार जोशी पुत्र स्व. श्री दिनेश जोशी एवं श्री लक्ष्मण जोशी पुत्र श्री कुमार जोशी	श्री दिनेश जोशी पुत्र श्री हरदेव जोशी	ए-14, ए-15	976.6 व. ग.	नवजीवन गृ. नि.स.स.	विद्युत नगर-बी	नाम हस्तान्तरण	अपंजीकृत वसीयतनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पंजीकृत घोषणा पत्र के आधार पर

उपायुक्त, जोन- 7
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त, जोन- 7
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-8/2024/डी- 85

दिनांक 11/1/24

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड/दुकान	भूखण्ड क्षेत्र (व0ग0)	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	कल्पना शर्मा पत्नी श्री अविनाश शर्मा	स्वयं	28	311.11	श्यामपुरी गृ. निर्माण सहकारी समिति	कृष्णा विहार	लीजडीड	सदस्या सूची में नाम अंकित नहीं होने से।
2.	राहुल अग्रवाल पुत्र श्री गोविन्द कृष्ण अग्रवाल	उषा देवी गर्ग पत्नी श्री पदम चन्द गर्ग	124	183.33	श्यामपुरी गृ. निर्माण सहकारी समिति	कृष्णा विहार	लीजडीड	अपंजीकृत इकरारनमा से बैचान होने से।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-06/23/डी-103

दिनांक: 12-1-24

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय :- धारा 90ए के अन्तर्गत लोक सूचना का प्रकाशन करवाये जाने बाबत।
सन्दर्भ:- जोन कार्यालय का पत्र क्रमांक डी-2365 दिनांक 09.10.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के द्वारा धारा 90ए के अन्तर्गत संलग्न लोक सूचना का प्रकाशन करवाये जाने हेतु प्रति प्रेषित की गई थी किन्तु आ-दिनांक तक लोक सूचना का प्रकाशन नहीं करवाया गया है।

अतः पुनः धारा 90ए के अन्तर्गत संलग्न लोक सूचना का प्रकाशन करवाकर प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करवाने का श्रम करावें। ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

संलग्न:- लोक सूचना विज्ञप्ति।

प्राधिकृत अधिकारी एवं जमापुस्तक अधिकारी जोन-06
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

संख्या..... 2365

दिनांक..... 09.10.23

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरानामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण संयुक्त गृ.नि.स.स की योजना लक्ष्मी नगर विस्तार (सेक्टर-1) के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा	स्वामित्व
झोटवाड़ा जयपुर	24	0.7461 हैक्ट	टेडीचन्द पुत्र बालचन्द हि. पूर्ण जाति कुमावत सा.देह खातेदार
	113	0.2529 हैक्ट	जगदीश कुमार पुत्र दौलतराम सानवानी हि. 1/2, दौलतराम पुत्र
	114	0.2150 हैक्ट	लच्छीराम सानवानी हि. 1/2 जाति सानवानी सा.देह खातेदार

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.जा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञापित प्रकाशन के 15 दिवस में कमरा न. 204, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक..... 09.10.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-06 जविप्रा, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण
09.10.23

जयपुर विकास प्राधिकरण
09.10.23



आमसूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हसनपुरा-ए गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना विनायक सरोवर के भूखण्ड संख्या सी-24 क्षेत्रफल 305.29 वर्गगज का भूखण्डधारी द्वारा जोन में पट्टा विलेख जारी करवाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त भूखण्ड ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 19 से प्रभावित है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हो चुकी है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 20.09.2021 के अनुसार उक्त विज्ञप्ति जारी की जा रही है। अतः उक्त भूखण्ड का पट्टा विलेख जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/हितधारी/खातेदार को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में इस कार्यालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करे। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही करते हुए भूखण्डधारी को पट्टा विलेख जारी कर दिया जायेगा।

उपायुक्त

जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

जनसम्पर्क अधिकारी,
जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ. नोटक्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./जोन-पी.आर.एन.(दक्षिण-द्वितीय)/2023/डी- 2433
दिनांक12.....1. 2024

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय); फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)

N.P.-V.N.

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/103147

दिनांक: 12/01/2024

लोक सूचना

श्री GOKUL KRIPA COLONIZERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED THROUGH AUTHORIZED SIGNATORY LOKESH YADAV पुत्र श्री SHYAMLAL YADAV जाति YADAV निवासी 702-703, OKAY PLUS SQUARE, PATEL MARG, MADHYAM MARG, MANSAROVAR, JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	झुझारपुरा, चाकसू (जयपुर)	GOKUL KRIPA COLONIZERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED THROUGH AUTHORIZED SIGNATORY LOKESH YADAV	209/184	13500 मे से 9500	0.95
2.	झुझारपुरा, चाकसू (जयपुर)	GOKUL KRIPA COLONIZERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED THROUGH AUTHORIZED SIGNATORY LOKESH YADAV	211/185	19500 मे से 10050	1.005
कुल					1.955

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 12.01.2024 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
उपस्थित जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर